

१०/१०/२९

प्रावली पेश। अभिभाषक वादी अनुष्ठ। चार-चार
रुक रुक कर आवाज लगावायी गई। न्यायालय का
समय समाप्त होने तक इंतजार किया गया किंतु
उपस्थित न्यायालय नहीं आए। दावा वादी
अल्म हाजिरी अहम पैतली में स्थापित निर्णीत
किया जाता है। प्रावली फैसल शुमार होकर वाद
तकमील नम्बर से कम होकर दायिमल दफ्तर हो।

उपरोक्त अधिकारी एवं सहायक
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (रा.)